राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 232/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, कुशल बाग़ पैलेस बांसवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव स्वायत शासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 12-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री घनश्याम व्यास, अधिवक्ता, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने सूचना का आवेदन दिनांक 31-7-17 प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा माह सितम्बर, 2014 में प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या, पंजीकृत की गई प्रथम अपीलों की संख्या, निस्तारित की गई प्रथम अपीलों की संख्या एवं प्रथम अपील रजिस्टर्ड नहीं कर लौटाई गई अपीलों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का आवेदन विभाग के प्राप्ति अनुभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त होना नहीं पाया जाता है जिसके कारण आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। यह भी निवेदन किया कि सूचना के आवेदन की जानकारी द्वितीय अपील के साथ संलग्न पत्र के प्राप्त होने के बाद ही ज्ञात हो पाई, अतः अपील खारिज की जावे।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 28-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी द्वारा पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने आवेदन प्रेषित करने के प्रमाण के सम्बन्ध में आर.पी.ए. सी.आर. 427320582 अंकित किया है जिसके द्वारा 36/-रु. का भुगतान कर दिनांक 31-7-17 को 375 ग्राम वजन का

पार्सल लोक सूचना अधिकारी, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित किया है। उक्त प्रमाण की छाया प्रति सूचना के आवेदन पर चस्पा कर प्रेषित की गई है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा www.indiapost.gov.in की ट्रेक रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है एवं उक्त प्रमाण पत्र पर अंकित पता भी सूचना के आवेदन के अनुकूल नहीं है। शासन सचिवालय जयपुर में प्रत्येक लोक प्राधिकरण के विभिन्न राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त हैं तथा उक्त प्रमाण में अंकित पता सूचना के आवेदन में अंकित पते से मेल नहीं खाता है तथा अपीलार्थी ने भी स्वयं द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 6-3-17 में प्रत्यर्थी द्वारा पृष्ठांकित की गई अपीलोत्तर की प्रति दिनांक 28-2-18 के सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया अंकित नहीं की है से प्रतीत होता है कि या तो अपीलार्थी द्वारा प्रेषित सी.आर. नम्बर में कोई टंकण की त्रुटि है अथवा उस पर अंकित पता सही नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी तक अपीलार्थी का सूचना का आवेदन नहीं पहुंच सका। अतः प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय/सूचना उचित है।

8. अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त